



अंत्योदय सरल



अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग डॉ. बी. आर. अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना

पात्रता

- प्रार्थी हरियाणा राज्य का स्थाई निवासी हो।
- आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल) की सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए और उसका नाम गरीबी रेखा से नीचे की सर्वेक्षण सूची में सम्मिलित होना चाहिए।
- अनुसूचित जाति/विमुक्त जाति/टपरीवास
- मरम्मत किया जाने वाला मकान कम से कम 10 वर्ष पुराना होना चाहिए, मरम्मत के लिए ऋण और कहीं से नहीं लिया होना चाहिए और आधार कार्ड दिया जाना आवश्यक है।

लाभ

अनुसूचित जातियों टपरीवास और विमुक्त जातियों की आवासीय समस्या का निराकरण करने हेतु मकान की मरम्मत के प्रयोजन हेतु ₹0 50,000/- का अनुदान उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की गई है।

आवश्यक दस्तावेज़

1. पहचान/नागरिकता का सबूत (निम्नलिखित में से कोई एक)
 - राशन कार्ड
 - अधिवास प्रमाण-पत्र
 - आधार कार्ड



अंत्योदय सरल



3. आरक्षित प्रवर्ग के लिए जाति प्रमाण-पत्र
4. आधार लिंकड बैंक पासबुक- बैंक पासबुक की प्रथम पृष्ठ की प्रति
5. सम्पत्ति का फोटो
6. प्लॉट रजिस्ट्र की प्रति
7. मरम्मत का अनुमानित खर्च का दस्तावेज
8. बी. पी. एल. राशन कार्ड की प्रति

सेवा के लिए फीसें

सरकारी प्रभार	सेवा प्रभार	अटल सेवा केंद्र सेवा प्रभार
कोई फीस नहीं	₹0 10/-	₹0 10/-

सेवा का अधिकार समय सीमा: 57 दिन